DELHI TOURISM

दिल्ली फिल्म नीति
2022

दिल्ली सरकार

आप की सरकार

दिल्ली फिल्म नीति 2022

विषय सूची

1. परिचय
2. दृष्टिकोण
3. परिभाषा
4. उद्देश्य
5. कार्यनीति
6. नीति अवधि
7. अनुमोदन प्राप्त करने के लिए नोडल एजेंसी
8. ऑनलाइन एकल खिड़की अनुमति प्रक्रिया
9. फिल्म शूटिंग प्रमोशन सेल
10. फिल्म सुविधा समिति
11. फिल्म विकास प्रकोष्ठ
12. फिल्म सलाहकार बोर्ड
13. कार्यान्वयन
14. दिल्ली फिल्म कोष
15. अंक और सबसिडी

    क) भारतीय/विदेशी प्रस्तुतियों के लिए अंक निर्धारण:

    ख) विदेशी प्रोडक्शंस के लिए अतिरिक्त अंक निर्धारण

    ग) स्वीकृत की जाने वाली सब्सिडी

16. दिल्ली फिल्म कार्ड
17. शुल्क और जमा
18. फिल्म इकाइयों की सुरक्षा और बचाव
19. शूटिंग लोकेशनों का विकास
20. आवास और परिवहन सुविधाएं
21. फिल्मी संसाधनों का संग्रह
22. स्थानीय प्रतिभा का उपयोग और कौशल विकास
23. मार्केटिंग और प्रमोशन
24. प्रमुख डिजिटल क्रांति
25. दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (डीआईएफएफ)
26. दिल्ली फिल्म उत्कृष्टता पुरस्कार (डीएफईए)
27. विकास के भागीदार
28. पायरेसी और फिल्मों की अवैध प्रदर्शनी पर रोक
29. परिचालन दिशानिर्देश

''अस्वीकरण''

उच्च सुरक्षा क्षेत्र अर्थात् राष्ट्रपति भवन के पास, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, राज पथ, संसद भवन, इंडिया गेट आदि इस नीति के दायरे में नही होंगे। इस प्रकार, यह नीति ऐसे उच्च सुरक्षा क्षेत्रों के लिए लागू नहीं होगी इन क्षेत्रों में फिल्म शूटिंग, के लिए भारत सरकार की विशेंष मंजूरी की आवश्यकता होगी।

ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लीयरेंस मैकेनि़जम यानी 'ई–फिल्म क्लीयरेंस' के माध्यम से दी गई अनुमतियां भी समय–समय पर जारी भारत सरकार के मंत्रालयों/संस्थानों के दिशा–निर्देशों/निर्देशों के अधीन होंगी।

1. परिचय

दिल्ली, भारत और दुनिया का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह एक विशाल शहर है जहां विविध संस्कृति, विविध लोगों और विविध परिदृश्य मिलते हैं। दिल्ली भारत में फिल्म निर्माण/शूटिंग के लिए पूरणतः उपयुक्त शहर है। इस शहर में पुरानी विरासत और आधुनिक भव्यता का मिलाजुला परिवेश मिलता है और जिसके कारण यह फिल्म निर्माताओं को दोनों प्रकार के बहुत सुन्दर परिवेश प्रदान करता है। जहां एक हम ओर पुरानी दिल्ली की रोचक गलियों को देख सकते हैं, वहीं दूसरी ओर, यहाँ नई दिल्ली की विलक्षण सड़कें और आसपास के मनमोहक क्षेत्र हैं। दिल्ली में विभिन्न लोकप्रिय स्थान भी हैं जिनका उपयोग सुन्दर पृष्ठभूमि के लिए फिल्मों में किया गया है।

दिल्ली में, हर साल लगभग 30 फिल्मों की शूटिंग की जाती है जो इसकी वास्तविक क्षमता से काफी कम लगती है। दिल्ली के भू-भौतिक, राजनीतिक, क्षेत्रीय, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ की विविधता का लाभ लेकर और दिल्ली में एक संपन्न फिल्म उद्योग स्थापित करने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाकर फिल्म निर्माण में एक लीडर के रूप में दिल्ली में अगुआई करने की अपार क्षमता है। कई फिल्म निर्माता, निर्देशक, लेखक और अभिनेता जिनका दिल्ली से संबंध हैं, वे मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद आदि शहरों में अपनी प्रतिभा का उपयोग कर रहे हैं। ऐसी प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिये इन्सेनटिव और उपायों के साथ फिल्म नीति को प्रस्तुत करना, प्रतिभा को इस शहर में बनाए रखने और रोजगार के उचित अवसर उपलब्ध करने में फायदेमंद होगा।

सरकार का यह निरंतर प्रयास रहा है कि वह दिल्ली में व्यापार करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए दूरदर्शी कदम उठाए। इन प्रयासों के साथ ही और निर्माताओं को एक अनुकूल और कुशल फिल्म निर्माण पारिस्थितिकी-तंत्र प्रदान करने के लिए तथा फिल्म संबंधी स्वीकृति प्रदान करने के लिए मौजूदा प्रक्रियाओं और परंपराओं को सरल बनाना है ताकि दिल्ली में फिल्म निर्माण प्रक्रिया को और आसान बनाया जा सके।

दिल्ली फिल्म नीति में आपका स्वागत है – 2022

2. दृष्टिकोण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फिल्म निर्माण का प्रोत्साहन करके पर्यटन में समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमुख दृष्टिकोण के साथ योग्य वातावरण बनाना।

3. परिभाषा

- "'नीति"' का अर्थ है "दिल्ली फिल्म नीति 2022";
- 'रा रा क्षे दि स' का अर्थ है "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार";
- 'डीटीटीडीसी' का अर्थ है दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम लिमिटेड / दिल्ली पर्यटन;
- "'एमडी एण्ड सीईओ"' का अर्थ है "प्रबंध निदेशक / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीटीटीडीसी;
- 'भारत सरकार (जी ओ आइ)' का अर्थ है "भारत सरकार के मंत्रालय, विभाग, संस्थान और स्वायत्त निकाय"।
- 'फिल्म' का अर्थ है एक सिनेमैटोग्राफ फिल्म अथवा सिनेमा चलचित्र।
- 'सिनेमैटोग्राफ फिल्म' का अर्थ है दृश्य रिकॉर्डिंग का कोई भी काम है और जिसमें ध्वनि रिकॉर्डिंग शामिल है और 'सिनेमैटोग्राफ' का अर्थ वीडियो फिल्मों सहित सिनेमैटोग्राफी के अनुरूप किसी भी प्रक्रिया द्वारा निर्मित किसी भी कार्य को शामिल करना होगा और इसमें फीचर फिल्में, लघु फिल्म, वृत्तचित्र, टीवी श्रृंखला, वेब श्रृंखला और विज्ञापन फिल्में शामिल होंगी।

4. उद्देश्य

दिल्ली फिल्म नीति 2022 के द्वारा फिल्मों के माध्यम से दिल्ली की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रोफाइल की ब्रांडिंग करना है। दिल्ली फिल्म नीति 2022 के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है:

1. कलात्मक, रचनात्मक और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को प्रोत्साहित करना।

2. फिल्म शूटिंग के लिए स्वीकृति प्रक्रियाओं को आसान बनाकर दिल्ली को एक जीवंत फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में ब्रांड करना।

3. घरेलू और वैश्विक दोनों स्तरों पर दिल्ली में फिल्मों की शूटिंग के लिए अधिक से अधिक संख्या में फिल्म निर्माताओं और उत्साही दर्शकों को आकर्षित करना।

4. दिल्ली में स्थानीय प्रतिभाओं के विकास और उन्हें समर्थन प्रदान करने तथा कुशल पारिस्थितिकी–तंत्र प्रदान करना।

5. कार्यनीति

दिल्ली फिल्म नीति 2022 के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, दिल्ली में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए तीन व्यापक फ्रेमवर्क आवश्यक हैं:

5.1 संस्थागत उपाय

ऑनलाइन सिंगल विंडो अनुमति मकैनिज़म (ई - फिल्म क्लीयरेंस)

ऑनलाइन सिंगल विंडो अनुमति मकैनिज़म (ई - फिल्म क्लीयरेंस) दिल्ली में फिल्मों के विकास को सहयोग और बढ़ावा देगा। दिल्ली फिल्म नीति 2022 का उद्देश्य फिल्म व्यवसाय को आसान बनाना है। यह प्रक्रिया विभिन्न हितधारक एजेंसियों से फिल्म शूटिंग के लिए स्वीकृति प्रक्रियाओं को तेज करेगा। लगभग 25 एजेंसियों को दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी, इसे आगे "दिल्ली पर्यटन" कहा जाएगा), जो दिल्ली सरकार का एक उपक्रम है, के साथ विभिन्न फिल्म प्रोडक्शन हाउसों को ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। दिल्ली पर्यटन को इस उद्देश्य के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया जाएगा।

5.2 नीतिगत उपाय

दिल्ली को फिल्म पर्यटन गंतव्य स्थान के रूप में बढ़ावा देने के लिए निर्धारित नीतिगत उपाय, दिल्ली को शूटिंग और फिल्म निर्माण गंतव्य स्थान के रूप में स्थापित करने मे महत्वपूर्ण होंगे। दिल्ली फिल्म नीति 2022 के अनुसार इंसेंटिव देगी और दिल्ली में फिल्म संबंधी

सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का निर्माण और विकास कर शूटिंग लोकेशनो को और अधिक विकसित करेगी। ये उपाय दिल्ली में फिल्म निर्माण और फिल्म निर्माण एजेंसियों को आकर्षित करेंगे। इसके अलावा, फिल्म-बिरादरी के प्रतिभागियों के साथ विभिन्न अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय उद्योग कार्यक्रमों, समारोहों मे भागीदारी और अन्य इसी प्रकार के कार्यक्रमों की मेजबानी के माध्यम से फिल्म शूटिंग के लिए दिल्ली को उन्नत किया जाएगा।

फिल्म शूटिंग के लिए दिल्ली को एक आकर्षक गंतव्य स्थान बनाने के लिए निम्नलिखित उपायों की पहचान की गई है:

1. दिल्ली फिल्म नीति 2022 को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक उपाय और इन्सेनटिव होंगे

2. दिल्ली पर्यटन मे ही एक "फिल्म शूटिंग प्रमोशन प्रकोष्ठ" की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त, दिल्ली में फिल्म निर्माण को आसान बनाने के लिए "फिल्म सुविधा समिति", "फिल्म विकास प्रकोष्ठ" और एक "फिल्म सलाहकार बोर्ड" का गठन भी किया जाएगा ।

3. दिल्ली फिल्म नीति 2022 मे दिल्ली को एक पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित करने के लिए "दिल्ली फिल्म फंड" की स्थापना की जाएगी। इस फंड का उपयोग फिल्म निर्माताओं और निर्माण एजेंसियों के सहयोग और संवर्धन के लिए किया जाएगा।

4. फिल्म निर्माण एजेंसियों को दिल्ली में शूटिंग के लिए विशिष्ट सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने के लिए "दिल्ली फिल्म कार्ड" जारी किया जाएगा। दिल्ली के पड़ोसी शहरों की फिल्म निर्माण एजेंसियों को विशेष पैकेज की पेशकश की जाएगी।

5.3 सहायक उपाय

ये उपाय दिल्ली में फिल्म निर्माण एजेंसियों के लिए अत्यधिक कुशल श्रमिक बल के विकास में सहयोग करेंगे। दिल्ली फिल्म नीति 2022 का उद्देश्य दिल्ली के स्थानीय प्रतिभाशाली युवाओं को पेशेवर विकास और प्रशिक्षण देना है, जिसमें कलाकार, कर्मी दल, एक्स्ट्रा कलाकार, तकनीशियन और कई अन्य शामिल हैं। दिल्ली का कौशल पारिस्थितिकी-तंत्र दिल्ली में एक मजबूत पेशेवर पारिस्थितिकी-तंत्र का निर्माण करेगा।

6. नीति अवधि

नीति मई 2022 से 5 साल की अवधि के लिए या किसी अन्य नीति द्वारा प्रतिस्थापित होने तक, जो भी पहले हो, संचालन में रहेगी। तथापि, फिल्म सलाहकार बोर्ड के परामर्श से फिल्म निर्माण एजेंसियों की बदलती जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नीतिगत प्रावधानों में समय-समय पर संशोधन भी किया जा सकता है।

7. अनुमोदन प्राप्त करने के लिए नोडल एजेंसी

7.1 विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय करके दिल्ली में फिल्म निर्माण एजेंसियों के लिए स्वीकृति प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी), दिल्ली सरकार के सरकारी उपक्रम को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है ।

7.2 इस उद्देश्य के लिए, दिल्ली पर्यटन संबंधित एजेंसियों और अन्य सभी हितधारकों के साथ समन्वय के लिए ऑनलाइन संस्थागत मकेनिजम विकसित करेगा ताकि फिल्म निर्माण एजेंसियों/ फिल्म निर्माताओं को शूटिंग के लिए आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की जा सके। अनुमति की पूरी प्रक्रिया को 15 कैलेंडर दिनों में मंजूर कर दिया जाएगा।

7.3 यदि निर्धारित समयावधि में स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती, तो एजेंसी आवेदक और दिल्ली पर्यटन को देरी के लिए स्पष्ट कारण बताते हुए सूचित करेगी।

7.4 तथापि, यदि निर्धारित समय-सीमा में अनुमति प्रदान नहीं की जाती है, तो दिल्ली पर्यटन द्वारा मानित अनुमति प्रदान की जाएगी, जब तक कि एजेंसी दिल्ली पर्यटन को समय पर अनुमति प्रदान नहीं कर पाने के कारणों के बारे में सूचित नहीं करती है। हालांकि, यह जानकारी ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के 15 कैलेंडर दिनों के भीतर दिल्ली पर्यटन तक पहुंचनी चाहिए।

7.5 यदि फिल्म निर्माता या प्रोड्यूसर किसी अभिनेता की तिथियों के कारण या किसी अन्य कारण से कम समय (जैसे शूटिंग से 10 दिन या 5 दिन पहले या और कम दिनों) में अनुमति प्राप्त करना चाहते हैं, तो अनुमोदन पर विचार किया जा सकता है, (बशर्ते कि

सभी मानदंडों का पालन किया गया हो)। तथापि, ऐसे मामलों के लिए प्रीमियम राशि, जो संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित की जाएगी, अदा करनी होगी।

7.6 इसके अतिरिक्त, एक बार फिल्म निर्माण एजेंसियों/फिल्म निर्माताओं को अनुमति दिए जाने के बाद, फिल्म शूटिंग को असामयिक परिस्थितियों को छोड़ कर किसी भी कारण से रोका नहीं जा सकता है। और, उस स्थिति में, दिल्ली पर्यटन और फिल्म निर्माण एजेंसी को समय पर सूचित किया जाएगा।

8. ऑनलाइन एकल खिड़की अनुमति मकैनिज़म : 'ई - फिल्म क्लीयरेंस'

8.1 अधिक पारदर्शिता प्रदान करने, समयबद्ध स्वीकृति प्रदान करने और हितधारक एजेंसियों एवं फिल्म प्रोडक्शन फ़र्मों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के लिए दिल्ली पर्यटन द्वारा एक ऑनलाइन सिंगल विंडो अनुमति मकैनिज़म (ई-फिल्म क्लीयरेंस) बनाया जाएगा । इससे दिल्ली में शूटिंग के लिए फिल्म निर्माण इकाइयों और फिल्म निर्माताओं का समय और प्रयास दोनों कम हो जायेंगे।

ऑनलाइन मकैनिज़म में निम्नलिखित विशेषताएं होंगी:

1. डीटीटीडीसी की वेबसाइट पर 'फिल्म शूटिंग सिंगल विंडो पोर्टल ' के प्रबंधन और संचालन के लिए डीटीटीडीसी नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा।

2. ऑनलाइन पोर्टल में डीटीटीडीसी और गैर- डीटीटीडीसी दोनों स्थानों पर शूटिंग के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट मकैनिज़म उपलब्ध होगा।

3. मल्टीलेवल यूजर लॉग-इन विकल्प को अभिगम अनुमतियों के साथ जोड़ा जाएगा –

(i) इस प्रणाली में सभी हितधारकों, जिनमे आवेदक, प्रशासक (दिल्ली पर्यटन) और संबंधित अनुमतिदाता प्राधिकारी संस्थाएं सम्मिलित हैं, को पोर्टल पर अभिगमन अनुमति प्रदान करने का मकैनिज़म होगा।

(ii) स्वतंत्र एजेंसियों के अतिरिक्त दिल्ली और भारत सरकार की सभी स्थान विशेष अनुमति प्राधिकारी को इस प्रणाली मे अभिगमन अनुमति होगी।

(iii) इस प्रणाली में स्थान-विशिष्ट और सांविधिक अनुमति (दिल्ली पुलिस की अनुमति सहित) दोनों के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए मकैनिज़म होगा।

(iv) इस प्रणाली मे विभिन्न हितधारकों के सभी फिल्म शूटिंग स्थलों की सूची सम्मिलित होगी।

(v) इस प्रणाली में प्रत्येक आवेदन की लोकेशन आवश्यकता अनुसार संबंधित प्राधिकारियों को आवंटित करने का स्वचालित मकैनिज़म होगा।

(vi) इस प्रणाली में अनुमतिदाता प्राधिकारियों को विशिष्ट स्थानों के लिए आवेदन स्वीकार या अस्वीकार करने की अनुमति देने के लिए मकैनिज़म होगा।

(vii) इस प्रणाली में ऑनलाइन भुगतान का प्रावधान होगा।

(viii) इस प्रणाली में विभिन्न हितधारकों और आवेदक के बीच आसान सूचना सम्प्रेषण मकैनिज़म होगा जिसके द्वारा एसएमएस/ईमेल के माध्यम से नोटिफिकेशन और अलर्ट संप्रेषित किए जा सकेंगे।

(ix) इस प्रणाली मे आवेदन के सफलतापूर्वक प्रेषण के बाद पावती रसीद दी जा सकेगी।

(x) प्रणाली में प्रत्येक आवेदन की प्रगति को ट्रैक किया जा सकेगा।

(xi) सिस्टम अनुमति पत्र तैयार करेगा जिसे आवेदक लॉगिन द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है।

(xii) इस प्रणाली में आवेदकों को शिकायत निवारण के लिए प्रतिक्रिया प्रेषित करने की अनुमति होगी।

9. फिल्म शूटिंग प्रमोशन प्रकोष्ठ

डीटीटीडीसी में एक फिल्म शूटिंग प्रमोशन प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। यह प्रकोष्ठ निम्नलिखित जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा:

i. यह प्रकोष्ठ दिल्ली में फिल्म शूटिंग में रुचि रखने वाली प्रोडक्शन कंपनियों / लाइन निर्माताओं को पंजीकृत करेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए, सभी जानकारी दिल्ली पर्यटन की वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध होगी। वेबसाइट पेशेवरों के नामांकन और फिल्म निर्माताओं द्वारा जानकारी प्राप्ति के लिए एकल मंच के रूप में कार्य करेगी।

ii. यह प्रकोष्ठ उन छात्रों को वार्षिक छात्रवृत्ति / वजीफे प्रदान करने के लिए एक मकेनिजम स्थापित करेगा, जो दिल्ली के छात्र हों, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी), दिल्ली, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीटीआई), पुणे और सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान (कोलकाता), राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (अहमदाबाद), या किसी अन्य मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान के छात्र हों, और जिन्हें फिल्म विकास प्रकोष्ठ की स्वीकृति प्राप्त हो।

iii. इस प्रकोष्ठ मे मानक संचालन कार्यप्रणाली, विस्तृत दिशानिर्देश, नियम, प्रक्रिया चेकलिस्ट और सभी आवश्यक प्रारूप और समझौते उपलब्ध कराए जाएंगे जो दिल्ली फिल्म नीति के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होंगे।

iv. यह प्रकोष्ठ दिल्ली स्थित प्रोडक्शन हाउसों की एक सूची रखेगा और उनसे ऐसी सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा जो फिल्म निर्माताओं को दिल्ली मे फिल्म निर्माण के लिए आकर्षित करने के लिए दिल्ली सरकार की प्रमोशन संबंधी गतिविधियों, अनुमति और नई योजनाओं से संबंधित होंगी ।

v. यह प्रकोष्ठ अपनी वेबसाइट पर दिल्ली स्थित फिल्म निर्माण से जुड़े कर्मचारी दल जैसे मेकअप कलाकार, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, हेयरड्रेसर, सेट डिजाइनर, बिजली और प्रकाश तकनीशियन, स्पॉट बॉय, सहायक निर्देशक और फिल्म उद्योग से संबंधित अन्य पेशेवर स्टाफ से संबंधित डेटाबेस को तैयार और अनुरक्षित करेगा । इससे दिल्ली

में फिल्म शूटिंग के लिए दिल्ली के प्रतिभाशाली युवाओं की सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोडक्शन हाउसों को आसानी से जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।

vi. लाइन प्रोड्यूसरों के लिए, यह आवश्यक होगा कि वे समय-समय पर अपने स्वयं के प्रोफ़ाइल को अपडेट करें और उनके द्वारा किए गए पिछले काम की जानकारी साथ ही सम्बद्ध प्रोड्यूसरों से काम के लिए संतुष्टि पत्र भी उपलब्ध कराएं ताकि जो लोग वेबसाइट पर लाइन प्रोड्यूसरों को खोज कर रहे हैं, वे लाइन प्रोड्यूसरों की उनके पेशेवर कौशल के आधार पर रेटिंग और क्षमता भी देख सकें।

vii. इस प्रकोष्ठ के माध्यम से अनुमति की प्रक्रियाओं से संबंधित मामला या शिकायत और अन्य कोई महत्वपूर्ण मामला जो शिकायत निवारण डेस्क के माध्यम से प्राप्त होगा, पर विचार किया जाएगा।

10. फिल्म सुविधा समिति

डीटीटीडीसी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक फिल्म सुविधा समिति का गठन किया जाएगा और इस समिति में हितधारक एजेंसियों के नोडल अधिकारी शामिल होंगे। समिति में विभिन्न एजेंसियों, विभागों, प्राधिकरणों और अन्य प्रमुख हितधारकों के अपर निदेशक या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी शामिल होंगे:

i. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)
ii. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD)
iii. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA)
iv. दिल्ली परिवहन निगम (DTC)
v. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC)
vi. दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL)
vii. नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA)
viii. पर्यावरण और वन विभाग, दिल्ली सरकार
ix. कला, संस्कृति और भाषा विभाग, दिल्ली सरकार
x. राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार
xi. पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार
xii. पुलिस उपायुक्त (कानून और व्यवस्था)
xiii. पुलिस उपायुक्त (यातायात)
xiv. पूर्वी दिल्ली नगर निगम (EDMC)

xv. इस्कॉन मंदिर ट्रस्ट
xvi. जामा मस्जिद और हजरत निजामुद्दीन दरगाह
xvii. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC)
xviii. उत्तरी दिल्ली नगर निगम (North DMC)
xix. उत्तर रेलवे
xx. लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार (PWD)
xxi. दक्षिण दिल्ली नगर निगम (SDMC)
xxii. भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI)
xxiii. सुंदर नर्सरी, निजामुद्दीन
xxiv. दिल्ली सरकार या भारत सरकार का कोई अन्य विभाग और फिल्म निर्माण एजेंसी के अनुरोध के अनुसार कोई एजेंसी।

यह समिति त्रैमासिक बैठक करेगी और ई-फिल्म मंजूरी के कुशल संचालन के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा और विचार-विमर्श करेगी।

11. फिल्म विकास प्रकोष्ठ

दिल्ली पर्यटन द्वारा एक फिल्म विकास प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं द्वारा दिल्ली में फिल्म निर्माण के विकास और संवर्धन के लिए कार्य करेगा। इस प्रकोष्ठ की सह-अध्यक्षता दिल्ली पर्यटन के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी और फिल्म उद्योग के प्रमुख फिल्म व्यक्तित्व जैसे फिल्म निर्माता, निर्देशक, अभिनेता या निर्माता द्वारा की जाएगी। इसमें सरकारी अधिकारी, तकनीकी पेशेवर और फिल्म उद्योग के विशेषज्ञ शामिल होंगे।

प्रकोष्ठ के पास निम्नलिखित जिम्मेदारियां होंगी:

1. यह प्रकोष्ठ दिल्ली फिल्म नीति 2022 के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए फिल्म निर्माताओं / प्रोड्यूसरों की पात्रता तय करेगा।

2. यह समय-समय पर दिल्ली में फिल्मों के विकास और प्रचार के लिए रणनीतियों पर चर्चा करेगा।

3. यह पूंजी निवेश के साथ धन जारी करने और फिल्म क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगा ।

4. फिल्म विकास प्रकोष्ठ की बैठक छह महीने में एक बार होगी।

12. फिल्म सलाहकार बोर्ड

फिल्म सलाहकार बोर्ड सलाह और मार्गदर्शन करेगा कि दिल्ली फिल्म नीति 2022 के लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए। इसमें प्रमुख फिल्म निर्माता और पेशेवर (विषय वस्तु) विशेषज्ञ शामिल होंगे जो दिल्ली में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और समावेशी विकास के लिए समुदाय को शामिल करने के तरीके के बारे में अंतर्दृष्टि और विचार प्रदान करेंगे। वे दिल्ली फिल्म नीति 2022 के उद्देश्यों को उत्कृष्टता तक पहुँचाने के लिए ताजा जानकारी साझा करेंगे।

13. कार्यान्वयन

13.1 दिल्ली में फिल्म शूटिंग के लिए सभी आवेदन केवल दिल्ली पर्यटन के 'ई - फिल्म क्लीयरेंस' पर प्राप्त किए जाएंगे

13.2 यह नीति उन सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पात्र फिल्म निर्माताओं पर लागू होगी जो प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमति प्राप्त करने और सब्सिडी/प्रोत्साहन का दावा करते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं और प्रोडक्शन हाउसों के लिए यह उनके लाइन प्रोड्यूसर/ प्रतिनिधि की जिम्मेदारी होगी कि वे विदेश मंत्रालय (एमईए) और भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) आदि से सभी अपेक्षित अनुमातियाँ प्राप्त करें।

13.3 'ई- फिल्म क्लीयरेंस' मकेनिजम फिल्म शूटिंग के लिए प्राप्त आवेदनों को समय पर अनुमति सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित हितधारक एजेंसियों के साथ समन्वय करेगा।

13.4 नीति के जारी होने के बाद, निर्माता निर्धारित प्रारूप में एफएसपीसी को इन्सेनटिव के लिए आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा।

13.5 एफएसपीसी द्वारा गठित एक वित्त समिति इन्सेनटिव के आवेदन की जांच करेगी, और निर्णय के लिए अपनी सिफारिशों के साथ फिल्म विकास प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को अग्रेषित करेगी।

13.6 एफएसपीसी फिल्मों के पोस्ट–प्रोडक्शन के लिए दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विभिन्न सेवा प्रदाताओं और डीटीटीडीसी के बीच एमओयू की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करेगा।

13.7 एफएसपीसी दिल्ली में सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल के चेन समूहों, अन्य एम्फीथिएटर और फिल्म डिस्ट्रिब्यटरों के बीच एमओयू की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करेगा।

13.8 एक अंडरटेकिंग/वचन–पत्र देना होगा जिसमे लिखा हो कि ई-फिल्म क्लीयरेंस के माध्यम से फिल्म शूटिंग के लिए आवेदक दिल्ली पर्यटन, दिल्ली सरकार और लोकेशन/ संबंधित हितधारक एजेंसियों को फिल्म में और फिल्म के प्रचार के दौरान प्रमुख क्रेडिट प्रदान करेंगे।

13.9 फिल्म निर्माताओं द्वारा दिल्ली पर्यटन को किसी भी मंच पर भविष्य में उपयोग के लिए सभी अधिकारों के साथ निम्नलिखित प्रदान किया जाएगा:

क	पूरी फिल्म का एक छोटा ऑडियो और वीडियो ट्रेलर	रिलीज के बाद
ख	एक लघु डाक्यूमेंट्री क्लिप जो दिल्ली के लोकेशन के उपयोग को दर्शाये	रिलीज के बाद
ग	निर्देशकों/फिल्म कर्मचारियों की दिल्ली के बारे में बताते हुए परदे के पीछे की सीन क्लिप	रिलीज के बाद
घ	दिल्ली पर्यटन अभिलेखागार के लिए फिल्म पोस्टर	रिलीज के बाद
ड़	दिल्ली पर्यटन और लोकेशन के लिए सोशल मीडिया प्रचार	रिलीज के बाद
च	फिल्म / परियोजना की हाई रेजोलूशन पोस्टर छवियां	रिलीज के बाद
छ	'दिल्ली में फिल्माया गया' अंतिम प्रोडक्शन रोलिंग क्रेडिट दिल्ली सरकार, डीटीटीडीसी तथा लोकेशन हितधारकों के लोगो के साथ	रिलीज के बाद

इनका विवरण परिचालन दिशानिर्देशों में प्रदान किया जाएगा।

14. दिल्ली फिल्म कोष

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, फिल्म प्रोमोशन के दृष्टिकोण से दिल्ली को एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गंतव्य के रूप में ब्रांडिंग करने के लिए 'दिल्ली फिल्म कोष' स्थापित करेगी। इस कोष का उपयोग दिल्ली में फिल्म शूटिंग के लिए सब्सिडी/प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किया जाएगा। एक प्रोडक्शन हाउस / फिल्म निर्माता को प्रदान किया जाने वाला प्रोत्साहन दो प्रकार का होगा:

क) प्रदर्शन आधारित वित्तपोषण - यह मुख्य रूप से फिल्म निर्माताओं और फिल्म वितरकों को पुरस्कृत करने के लिए फिल्म प्रस्तुतियों के लिए प्रदान किया जाएगा। इसका उपयोग दिल्ली में स्थित या दिल्ली में शूट की गई फिल्मों के लिए विपणन और प्रचार उद्देश्यों के लिए भी किया जाएगा।

ख) समर्थन वित्त पोषण - यह कम बजट की फिल्मों, टेलीफिल्म्स और प्रस्तुतियों के लिए विपणन और प्रचार गतिविधियों के लिए नए और उभरते हुए अदाकारों को सहायता प्रदान करेगा।

ग) निष्पादन आधारित वित्तपोषण और समर्थन वित्तपोषण के लिए महत्वपूर्ण मानदंड होंगे:

अ) दिल्ली में शूटिंग के दिनों की संख्या
आ) फिल्मों में दिल्ली का कंटेंट
इ) दिल्ली के स्थानों को दिया गया स्क्रीन समय
ई) दिल्ली के स्थानीय कलाकार

दिल्ली फिल्म **कोष** को रुपए 30 करोड़ के प्रारंभिक अनुदान के साथ संपन्न किया जाएगा।

15. अंक और सब्सिडी

15.1 फिल्म नीति के प्रावधानों के अनुसार फिल्म विकास प्रकोष्ठ फीचर फिल्मों/टीवी सीरीज/वेब सीरीज और ओटीटी परियोजनाओं और किसी अन्य फीचर फिल्मों/वृत्तचित्रों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

15.2 अंक और सब्सिडी के लिए विज्ञापन फिल्में और टीवी विज्ञापन अर्हता प्राप्त नहीं करेंगे।

15.3 फिल्म निर्माताओं को फिल्मों की नाटकीय रिलीज के लिए सीबीएफसी प्रमाणपत्र लेना चाहिए।

15.4 ओटीटी रिलीज के लिए, परियोजना को नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम, ज़ी 5, सोनी लाइव, डिज्नी हॉटस्टार, वूट, एमएक्स प्लेयर, एएलटी बालाजी जैसे निम्नलिखित ओटीटी प्लेटफार्मों में से किसी पर भी जारी किया जाना चाहिए। इस सूची को प्रचलनात्मक दिशा-निर्देशों के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जाएगा।

15.5 यदि केवल एक वेब सीरीज या वेब फिल्म के पायलट को दिल्ली में शूट किया जाता है, तो प्रोडक्शन एजेंसी सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होगी।

15.6 सभी शूटिंग के लिए, सब्सिडी हेतु लाइन बजट से नीचे केवल योग्यता पर विचार किया जाएगा।

15.7 दिल्ली पर्यटन, फिल्म रिलीज के बाद 90 दिनों के भीतर फिल्म निर्माता को सब्सिडी की राशि जारी करेगा।

15.8 योग्य कर्मीदल में मेकअप कलाकार, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, हेयरड्रेसर, सेट डिजाइनर, बिजली एवं प्रकाश तकनीशियन, स्पॉट बॉय, सहायक निर्देशक तथा फिल्म विकास प्रकोष्ठ द्वारा तय की गई कोई अन्य प्रासंगिक भूमिका सम्मिलित है।

15.9 लाइन से नीचे योग्य प्रोडक्शन लागत में फिल्म निर्माण एजेंसी द्वारा दिल्ली में वहन किए गए, प्री-प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हेतु व्यय तथा फिल्मांकन/शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान किए गए व्यय से संबंधित व्यय सम्मिलित है।

15.10 सब्सिडी के लिए पात्रता दिल्ली फिल्म नीति 2022 की अधिसूचना की तिथि से शुरू होती है।

15.11 सब्सिडी नीचे परिभाषित स्कोरिंग प्रणाली के अनुसार अर्जित अंकों की संख्या के आधार पर दी जाएगी:

क) भारतीय/विदेशी प्रस्तुतियों के लिए बिंदु आवंटन:

स.	श्रेणी	मानदंड	अंक	अधिकतम प्राप्य अंक
1	दिल्ली के संदर्भ में फिल्म सेट	दिल्ली लोकेशंस का स्क्रीन टाइम (दिल्ली का कवरेज) >75% 51%- 75% 25%-50% 5%- 25% <5%	 10 8 6 4 2	10
2	दिल्ली में शूटिंग के दिनों की संख्या	न्यूनतम 5 दिन 5-20 दिन 20 दिन से अधिक	1 5 10	10
3	दिल्ली स्थित कुशल कर्मीदल और सहायक संसाधन अपेक्षित दस्तावेज: दिल्ली का वोटर कार्ड	कार्यरत स्थानीय कर्मीदल की संख्या: >75% 51%- 75% 26%-50% 5%- 25% <5 %	 10 8 6 4 2	10
4	लाइन* से नीचे योग्य प्रोडक्शन लागत दिल्ली में वहन होगी	>100 करोड़ 50- 100 करोड़ 20-50 करोड़ 10-20 करोड़ 5-10 करोड़ 5 करोड़	10 8 6 4 2 1	10

* विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश लाइन से नीचे योग्य उत्पादन लागत को कवर करेंगे

ख) विदेशी प्रस्तुतियों के लिए अतिरिक्त बिंदु आवंटन

क्र॰स.	श्रेणी	अधिकतम प्राप्य अंक
1	दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में पंजीकृत प्रोडक्शन एजेंसियां	2
2	दिल्ली में स्थित लाइन प्रोड्यूसर / प्रोडक्शन सर्विस कंपनी के साथ साझेदारी	2

ग) प्रदान की जाने वाली सब्सिडी

• सभी क्षेत्रीय फिल्मों और विदेशी फिल्मों सहित भारतीय फिल्मों को दी जाने वाली सब्सिडी स्कोरिंग प्रणाली में प्राप्त अंकों पर आधारित होगी। अधिकतम प्राप्त अंक 40/44 (भारतीय/विदेशी फिल्म निर्माण के आधार पर) हैं और न्यूनतम पात्रता अंक 20 हैं।

• सब्सिडी के लिए पात्रता दिल्ली फिल्म नीति 2022 की अधिसूचना की तिथि से शुरू होती है।

क्र.स.	मानदंड	अंक स्तर (40-36) (44-36)*	अंक स्तर (35-31) (35-31)*	अंक स्तर (30-26) (30-26)*	अंक स्तर (25-20) (25-20)*
1	प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म की शूटिंग दिल्ली में	25% सब्सिडी	20% सब्सिडी	15% सब्सिडी	10% सब्सिडी
2	वापिस आने वाले प्रोड्यूसरों के लिए इन्सेनटिव	25% सब्सिडी	20% सब्सिडी	15% सब्सिडी	10% सब्सिडी
3	प्रोडक्शन हाउस की डेब्यू फिल्म	15% सब्सिडी	10% सब्सिडी	8% सब्सिडी	5% सब्सिडी

* अंतरराष्ट्रीय प्रस्तुतियों के लिए स्कोर रेंज

कुल सब्सिडी की अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपये है।

16. दिल्ली फिल्म कार्ड

16.1 दिल्ली फिल्म कार्ड फिल्म निर्माताओं/निर्माण एजेंसियों को विशेष डील और पैकेजों की पेशकश करने के लिए आरंभ किया जाएगा। दिल्ली फिल्म कार्ड रियायती सेवाओं जैसे दिल्ली के अंदर यात्रा, सामान, आवास और सुरक्षा अर्थात दिल्ली की लोकेशनों पर कार्मिक प्रबंधन के लिए पैकेज प्रदान करेगा। पैकेजों के प्रचालन संबंधी दिशा-निर्देश दिल्ली पर्यटन के फिल्म शूटिंग संवर्धन प्रकोष्ठ द्वारा कार्यान्वित किये जायेंगे।

16.2 दिल्ली फिल्म कार्ड फिल्म निर्माताओं और फिल्म निर्माण एजेंसियों को शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगा, जिसे समय-समय पर नवीनीकृत किया जा सकेगा। संचालन दिशानिर्देशों में विवरण सम्मिलित किया जाएगा।

16.3 फिल्म कार्ड की प्रारंभिक कीमत 1.00 लाख रुपये होगी जिसे हर साल नवीनीकृत किया जा सकता है ।

17. शुल्क और जमा

i. दिल्ली में सभी चिन्हित फिल्म लोकेशनो पर शूटिंग के लिए मानकीकृत शुल्क स्लैब निर्धारित किए जाएंगे, जिन्हें सभी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ परामर्श के बाद तय किया जाएगा।

ii. शुल्क को विभिन्न प्रकार की फिल्मों जैसे वाणिज्यिक फिल्मों, लघु फिल्मों, वेब श्रृंखला, टीवी शो, वृत्तचित्रों और ओटीटी परियोजनाओं के लिए तर्कसंगत बनाया जाएगा।

iii. हितधारक एजेंसियों द्वारा जमा सिक्योरिटी राशि, जहां भी लागू हो, की वापसी शीघ्रता से करने के प्रयास किए जाएंगे और आवेदन प्राप्त होने के एक महीने के भीतर प्रदान किए जाएंगे।

18. फिल्म इकाइयों की सुरक्षा और बचाव

(i) डीटीटीडीसी सुरक्षा आवश्यकताओं पर दिल्ली में शूटिंग करने वाले फिल्म निर्माताओं और प्रोड्यूसरों का मार्गदर्शन करेगा।

(ii) फिल्म इकाइयों को उनके अनुरोध पर कार्मिक प्रबंधन में विशेष रूप से प्रशिक्षित सिविल डिफेंस वालंटियर (सीडीवी) उपलब्ध कराए जाएंगे। संचालन दिशानिर्देशों में विवरण शामिल किया जाएगा। तथापि, कानून एवं व्यवस्था तथा यातायात प्रबंधन की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के पास रहती है, जैसा कि उनके द्वारा अनुमति प्रदान की गई हो।

19. शूटिंग स्थलों का विकास

i. सभी हितधारक एजेंसियां फिल्म शूटिंग स्थलों और संबंधित बुनियादी ढांचे जैसे विरासत स्थलों, नागरिक बुनियादी ढांचे, पार्कों और उद्यानों, सड़कों, रेलवे स्टेशनों और कैरिजों, मेट्रो स्टेशनों और ट्रेनों आदि के विकास को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगी। इसमें वाणिज्यिक आयोजनों के लिए ली गई दरों की तुलना में फिल्म शूटिंग के लिए अलग और कम दरों को लागू करना शामिल होगा।

ii. डीटीटीडीसी दिल्ली सरकार और निजी हितधारकों के साथ शूटिंग के उत्कृष्ट स्थलों की पहचान करेगा और उन्हें सूचीबद्ध करेगा।

iii. दिल्ली और सरकारी बुनियादी ढांचे के लिए विशिष्ट स्थलों को फिल्म की अवधारणा के आधार पर संभावित फिल्म शूटिंग स्थलों के रूप में प्रचारित किया जाएगा।

20. आवास और परिवहन सुविधाएं

i. विभिन्न बजट श्रेणियों में होटलों और गेस्टहाउसों को डीटीटीडीसी के साथ सूचीबद्ध करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

ii. फिल्म इकाइयों को उनके ठहरने की अवधि के लिए डीटीटीडीसी के सूचीबद्ध गेस्टहाउसों और होटलों में विशेष दरों पर बोर्डिंग और लॉजिंग की पेशकश की जाएगी।

iii. डीटीटीडीसी फिल्म इकाइयों को आवास के स्थान से यात्रा के लिए उनके फिल्म कर्मीदलों को परिवन की सुविधा प्रदान करेगा।

21. फिल्मी संसाधनों का संकलन

डीटीटीडीसी दिल्ली में स्थित प्रमुख ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों, जो आकर्षक और फिल्मांकन योग्य हैं, के विवरण को प्रमुखता से प्रदर्शित करने वाले फिल्मी संसाधनों का एक संग्रह तैयार करेगा। दिल्ली को एक प्रमुख फिल्म-शूटिंग गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए व्यापक रूप से इस संग्रह को प्रचारित किया जाएगा।

22. स्थानीय प्रतिभा और कौशल विकास का उपयोग

22.1 फिल्म शूटिंग प्रमोशन प्रकोष्ठ मेकअप कलाकारों, कॉस्ट्यूम डिजाइनरों, हेयरड्रेसर, सेट डिजाइनरों, बिजली और प्रकाश तकनीशियनों, स्पॉट बॉय, सहायक निर्देशकों और दिल्ली में आधारित किसी भी अन्य प्रासंगिक भूमिका सहित फिल्म कर्मीदलों और सहायक संसाधनों की एक सूची बनाए रखेगा। प्रकोष्ठ नियमित रूप से फिल्म निर्देशकों और प्रोडक्शन हाउसों के साथ डेटाबेस साझा करेगा। इसे डीटीटीडीसी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

22.2 फिल्म निर्माण पाठ्यक्रमों जैसे सिनेमैटोग्राफी, अभिनय, पटकथा लेखन, निर्देशन, संपादन आदि को दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीईएसयू) और अन्य संस्थानों में डिग्री / व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के रूप मे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माण संस्थानों के साथ संबद्धता से शुरू किया जा सकता है।

22.3 फिल्म निर्माण पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए फिल्म कर्मीदल के साथ इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी।

22.4 100 प्रतिभाशाली और योग्य उम्मीदवारों के लिए प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान जैसे भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे सत्यजीत रे फिल्म, टेलीविजन संस्थान, कोलकाता और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद आदि में फिल्म निर्माण और संबंधित पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए वार्षिक छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। चयनित छात्रों को आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

22.5 फिल्म निर्माण और फिल्म उद्योग से संबंधित अन्य पाठ्यक्रम संचालित करने वाले नए राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के विकास के सबंध मे पता लगाया जाएगा।

22.6 एनएसडी और एफटीटीआई, एनआईडी जैसे प्रमुख संस्थानों के दिल्ली में अपने परिसरों की स्थापना के लिए उनके साथ एमओयू /टाई-अप की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा।

22.7 फिल्म प्रौद्योगिकी, एवीजीसी (एनीमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक्स), ग्राफिक्स और संबंधित क्षेत्रों में स्टार्ट-अप को बढ़ावा दिया जाएगा।

22.8 देश भर में मेकअप कलाकारों, कॉस्ट्यूम डिजाइनरों, हेयरड्रेसर, सेट डिजाइनरों, बिजली और प्रकाश तकनीशियनों, स्पॉट बॉयज, सहायक निर्देशकों को नियमित रूप से प्रचारित किया जाएगा।

23. मार्केटिंग और प्रोमोशन

डीटीटीडीसी दिल्ली को एक विश्व स्तरीय फिल्म शूटिंग गंतव्य के रूप में प्रचारित करने तथा मार्केटिंगकरने के लिए विभिन्न माध्यमों जैसे फीचर फिल्मों, वेब सीरीज, टीवी सीरीज, डॉक्यूमेंट्री फिल्मों जैसे विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर विभिन्न कदम उठाएगा, जैसे:

क) दिल्ली पर्यटन और अन्य प्रचार अभियानों की ब्रांडिंग में एक उत्पाद के रूप में फिल्म पर्यटन को शामिल करना।

ख) डीटीटीडीसी दिल्ली को फिल्म शूटिंग गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मेलों और एक्सपो, फिल्म फेस्टिवल और ऐसे अन्य ऐसे कार्यकर्मों में भाग लेगा।

ग) यदि कोई फिल्म, टीवी शो या वेब सीरीज दिल्ली की संस्कृति और विरासत का महिमा मंडन करती है और इसके पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देती है, तो डीटीटीडीसी अपने पर्यटन स्थलों पर ऐसे फिल्म, टीवी सीरीज, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की प्रचार सामग्री को फिल्म निर्माण एजेंसी और उस लोकेशन के हितधारक से परामर्श कर प्रीमियम शुल्क के भुगतान पर प्रदर्शित करेगा।

24. अग्रणी डिजिटल क्रांति

क) डीटीटीडीसी दिल्ली स्थित ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्मों, टीवी शो और डिजिटल सामग्री निर्माताओं आदि के साथ साझेदारी पर विचार करेगा। डीटीटीडीसी फिल्मों में दिखाए गए लोकेशन के आधार पर अपनी प्रचार गतिविधियों के साथ पर्यटन पैकेजों को बढ़ावा देगा और पर्यटकों और फिल्म निर्माताओं को इन लोकेशनों की मार्केटिंग करेगा।

ख) ओटीटी सामग्री रचनाकारों, डिजिटल सामग्री निर्माताओं और टीवी श्रृंखला निर्माताओं के लिए परिचित टूर की पेशकश की जाएगी और उन्हे आयोजित करेगा, जहां डीटीटीडीसी फिल्म निर्माण एजेंसियों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान करने में सहायता करेगा।

ग) ओवर द टॉप (ओटीटी) परियोजनाओं, वेब सीरीज, टेलीविजन धारावाहिकों / शो, डाक्यूमेंट्री वृत्तचित्र आदि के लिए, इस नीति के तहत लाभ प्रदान करने का निर्णय "फिल्म विकास प्रकोष्ठ" द्वारा लिया जाएगा, जैसा कि नीति के साथ दिनांक 25 फरवरी, 2021 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के नियमों और दिशानिर्देशों जिसे कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली 2021 के रूप में जाना जाता है, में उल्लेख किया गया है।

25. दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (DIFF)

i. डीटीटीडीसी प्रति वर्ष दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म **समारोह** का आयोजन करेगा जिसमें दिल्ली को पसंदीदा फिल्म गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में प्रयोग किया जाएगा । देश भर से और वैश्विक स्तर पर फिल्म इंडस्ट्री को **समारोह** में आमंत्रित किया जाएगा। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म **समारोह** को बढ़ावा देने के लिए डीटीटीडीसी द्वारा विभिन्न प्रचारात्मक कार्यकलाप किए जा सकते हैं।

ii. दिल्ली में फिल्म कल्चर विकसित करने के लिए डीटीटीडीसी अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर विभिन्न फिल्म सोसाइटीयों और क्लबों को प्रोत्साहित और प्रमोट करेगा।

iii. डीटीटीडीसी दिल्ली को फिल्म शूटिंग गंतव्य के रूप में प्रमोट करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों, सम्मेलनों में भाग लेगा।

iv. डीटीटीडीसी लघु वृत्तचित्रों/प्रचार वीडियो बनाएगा और उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों और पर्यटक एक्सपो के साथ-साथ डिजिटल माध्यमों पर प्रदर्शित करेगा।

v. डीटीटीडीसी दिल्ली में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली द्वारा शुरू की गई पहल और विभिन्न गतिविधियों में फिल्म इंडस्ट्री की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।

vi. डीटीटीडीसी फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने, सहभागिता बढ़ाने और दर्शकों की विविधता के लिए एक व्यापक सोशल मीडिया रणनीति बनाएगा।

26. दिल्ली फिल्म उत्कृष्टता पुरस्कार (DFEA)

डीटीटीडीसी दिल्ली फिल्म उत्कृष्टता पुरस्कार की स्थापना करेगा जिससे दिल्ली फिल्म उद्योग के विकास और उत्कृष्टता में योगदान करने वाले लोगों को मान देने, सम्मानित करने के लिए समारोह का आयोजन किया जाएगा। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष कलात्मक और तकनीकी सिनेमा गतिविधियों में उत्कृष्टता का उत्सव मनाने के लिए की जाएगी। दिल्ली में फिल्माई गई फिल्मों के लिए ये वार्षिक फिल्म पुरस्कार दिल्ली में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहित करेंगे और वैश्विक फिल्म पटल पर दिल्ली को बढ़ावा देंगे। पुरस्कार की विशेष श्रेणियों में रचनात्मक, तकनीकी, कलात्मक और सहायक कर्मचारियों के योगदान को पहचानने के लिए, जिनमे निर्माताओं, निर्देशकों, अभिनेताओं, छायाकारों, लेखकों, ध्वनि और प्रकाश तकनीशियनों, मेकअप कलाकारों, कॉस्ट्यूम डिजाइनरों, स्पॉट बॉयज, लॉजिस्टिक सपोर्ट स्टाफ और फिल्म सलाहकार बोर्ड की सलाह के अनुसार अन्य श्रेणियां शामिल होंगी।

27. विकास में भागीदार

डीटीटीडीसी द्वारा 'विकास में भागीदार' नामक एक पहल की जाएगी ताकि साझेदारी के गठन को सक्षम किया जा सके जो उद्योग को बढ़ाने और नए आयाम प्राप्त करने में मदद करेगा। इन साझेदारियों में दो पक्ष होंगे: जुड़े रहो और व्यस्त रहो।

i. जुड़े रहो : साझेदारी और कनेक्शन भारत और विदेशों में फिल्म बिरादरी से संबंधित निकायों, सदस्यों और विशेषज्ञों के साथ जुड़े होंगे। इनमें फिल्म एजेंसियों, निर्माताओं, निर्देशकों, लेखकों, अभिनेताओं और फिल्म निर्माण प्रक्रियाओं में शामिल अन्य कर्मी शामिल हो सकते हैं। इन साझेदारियों या कनेक्शनों का गठन नए विचारों के आदान-प्रदान, फिल्म उद्योग के विभिन्न पहलुओं के निर्माण के लिए कार्यक्रमों को विकसित करने और सबसे ऊपर, दिल्ली को भारतीय और वैश्विक फिल्म बिरादरी के अभिन्न अंग के रूप में ब्रांडिंग करने के लक्ष्य के साथ किया जाएगा।

ii. व्यस्त रहो: आउटरीच कार्यक्रम और गतिविधियां युवाओं, सिनेमा पारखी, फिल्म आलोचकों, ब्लॉगर्स, समीक्षकों, सोशल मीडिया प्रभावकों सहित दर्शकों के लिए आयोजित किए जाएंगे । इन गतिविधियों से दिल्ली फिल्म इंडस्ट्री और दिल्ली द्वारा पेश किए जाने वाले सिनेमा उत्पाद उपभोक्ता/दर्शक के बीच सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा।

28. पाइरेसी और फिल्मों की अवैध प्रदर्शनी पर रोक

फिल्म उद्योग विभिन्न संचार माध्यमों से फिल्मों की पाइरेसी और अवैध प्रदर्शनी से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दिल्ली सरकार प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण फिल्में देखने के दर्शकों के अधिकार की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाइरेसी और फिल्मों की अवैध प्रदर्शनी की जांच से संबंधित कानूनों को सख्ती से लागू किया जाएगा।

29. परिचालन दिशानिर्देश

दिल्ली फिल्म नीति 2022 के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देश अलग से जारी किए जायेंगे।

----------X----------